

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-02/रेगु0-02-7034/2025 339/३०४७०

पटना, दिनांक- 15 मई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-2027 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत " बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए कुल मो० 488.668 लाख (चार करोड़ अट्ठासी लाख छियासठ हजार आठ सौ) रुपये की लागतवार योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, मूल्य संवर्द्धन और अन्य संबद्ध सहयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर गन्ना क्षेत्र को प्रोत्साहित और संवर्द्धित करना ताकि किसानों को उच्चतर रिटर्न प्राप्त हो एवं रोजगार के अधिक अवसरों को पैदा किये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत " बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम " के लिए कुल मो० 488.668 लाख (चार करोड़ अट्ठासी लाख छियासठ हजार आठ सौ) रुपये मात्र की योजनाओं का कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न क्षमताओं वाली कुल 79 इकाइयाँ स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। 79 इकाइयाँ स्थापित करने का प्रस्ताव सभी ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है।

3. राज्य में गुड़ उत्पादन को संस्थागत समर्थन देने के लिए इस कार्यक्रम के अधीन किसान/निवेशक/एल.एल.पी. कम्पनी/सहकारी सोसायटी के माध्यम से नई गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। नये गुड़ इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम अंतर्गत मदवार आर्थिक सहायता/अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार हैं:

मद	अनुदान
पूँजीगत अनुदान	(क) लघु (5-20 TCD)- पूँजी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 6 लाख रुपये।
	(ख) मध्यम (21-40 TCD) - पूँजी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपये।
	(ग) वृहद (41-60 TCD) - पूँजी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 45 लाख रुपये।
	(घ) बड़ी (60 TCD से अधिक)-पूँजी लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम 45 लाख रुपये जो भी अधिक हो तथा अधिकतम 100 लाख रुपये।
ब्याज प्रतिपूर्ति (60 TCD से उपर तथा 500 लाख से अधिक निवेश करने पर)	इकाई द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज के दर जो भी कम हो, पाँच वर्षों की अवधि तक, अधिकतम ब्याज आर्थिक सहायता परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक होगा। ब्याज आर्थिक सहायता उस अवधि की मूलधन राशि (ऋण का) के भुगतान करने पर बैंक को अर्द्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर दी जायेगी।

4. योजना का भौतिक एवं वित्तीय आकार अनुसूची-I तथा कार्यालयवार स्वीकृत योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-II के रूप में संलग्न है। अनुसूची-III में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।

5. इस कार्यक्रम अन्तर्गत किसान/निवेशक/फर्म/एलएलपी कंपनी/कोआपरेटिव (सहकारी) सोसाइटी /किसान उत्पादक कम्पनी आवेदन करने के पात्र होंगे। निवेशक/आवेदक और पात्रता **अनुसूची-IV** के रूप में संलग्न है।

6. कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विहित दिशानिर्देश के संबंध में विवरण **अनुसूची-V** के रूप में संलग्न है।

7. गुड़ इकाई की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति एवं वित्तीय सहायता की अनुमान्यता एवं कार्यान्वयन पद्धति **अनुसूची-VI** के रूप में संलग्न है।

8. इस योजनांतर्गत अंतर्गत आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 में स्वीकृत/दावा समर्पित कर चुके आवेदक तथा 2026-27 में लक्षित आवेदकों को स्वीकृति के पश्चात् भुगतये होगा।

9. इस योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया विभागीय Cane Care Portal (ccs.bihar.gov.in) के माध्यम से किया जायेगा। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कम्प्यूटराइज्ड रैण्डमाइजेशन कर आवेदक का चयन किया जायेगा।

10. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए ईख आयुक्त सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि एवं बजट उपलब्धता के अधीन मदवार कर्णांकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में संशोधन अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा किया जा सकेगा। योजना उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ईखायुक्त के द्वारा योजना के लिए निर्धारित दिशानिर्देश में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकेगा।

11. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा और ईख आयुक्त योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

12. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
(क) सामान्य जाति -	
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852082010104, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी।	374.793
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852082010104, विषय शीर्ष- 20 03 प्रशिक्षण।	20.67
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या- 45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852082010104, विषय शीर्ष-13 01 कार्यालय व्यय।	8.27
योग (क) -	403.733

(ख) अनुसूचित जाति -	
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852087890102, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी।	72.24
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852087890102, विषय शीर्ष-20 03 प्रशिक्षण।	4.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852087890102, विषय शीर्ष-13 01 कार्यालय व्यय।	1.60
योग (ख) -	77.84
(ग) अनुसूचित जनजाति -	
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0103-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087960103, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी।	6.635
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0103-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087960103, विषय शीर्ष- 20 03 प्रशिक्षण।	0.33
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0103-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087960103, विषय शीर्ष-13 01 कार्यालय व्यय।	0.13
योग (ग) -	7.095
योग -	488.668

13. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 (वि०) 2 दि०-17.04.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14. चतुर्थ कृषि रोड मैप पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। इस संबंधित कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा संकल्प सं०-पी.पी.एम.-26/2023-12 दिनांक-13.05.2023 निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प के कंडिका-1 में गन्ना उद्योग विभाग के अधीन गुड़ विकास कार्यक्रम शामिल है।

15. योजना के संलेख प्रस्ताव पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2 (क) के आलोक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति दिनांक-11.05.2026 को आयोजित बैठक में प्राप्त है।

16. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका संख्या-02/रेगु०- 02-7034/2025 के पृष्ठ-40/टि० पर दिनांक-14.05.2026 को प्राप्त है।

17. योजना के स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा संचिका संख्या-02/रेगु०-02-7034/2025 के पृष्ठ-39/टि० पर दिनांक-13.05.2026 को सहमति प्राप्त है।

18. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-02/रेगु0-02-7034/2025 939/ई०४७० पटना, दिनांक- 15 मई, 2026
 प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/समस्तीपुर/गोपालगंज/
 दरभंगा/बेतिया (प० चम्पारण)/पूर्णिमा/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान/पटना को सूचनार्थ
 एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-02/रेगु0-02-7034/2025 939/ई०४७० पटना, दिनांक- 15 मई, 2026
 प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप
 सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक
 ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग
 विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/रेगुलेटरी शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग
 विभाग, बिहार, पटना/ सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा,
 मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य
 की सभी कार्यरत चीनी मिलें/अध्यासी/महाप्रबंधक, प्रतापपुर (उ० प्रदेश) चीनी मिल/सचिव, बिहार सुगर
 मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-02/रेगु0-02-7034/2025 939/ई०४७० पटना, दिनांक- 15 मई, 2026
 प्रतिलिपि-सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी
 पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा को सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-02/रेगु0-02-7034/2025 939/ई०४७० पटना, दिनांक- 15 मई, 2026
 प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग
 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

अनुसूची-1

वर्ष 2026-27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

कार्य अवयव 1	भौतिक लक्ष्य (संख्या में) 2	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में) 3
विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी-		
पूंजीगत सब्सिडी (संयंत्र, मशीनरी और अन्य लागत का 50-55 प्रतिशत)	79	445.375
नोट : विभाग के शर्तों के अधीन अगर किसी श्रेणी में अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य में विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।		
ब्याज अनुदान (60 टीसीडी से उपर संयंत्र की स्थापना के लिए)	2	8.293
" नोट : ब्याज अनुदान की गणना पूर्वानुमान के आधार पर किया गया है, जो घट/बढ़ सकती है।		
योग-		453.67
विषय शीर्ष- 20 03 प्रशिक्षण व्यय-		
किसानों/ इन्क्यूबेटरों के लिए क्षेत्र भ्रमण और प्रशिक्षण कुल 4 प्रशिक्षण (50-50 व्यक्तियों के लिए एक सप्ताह का 4 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष)	25.000
योग-		25.000
विषय शीर्ष- 13 01 कार्यालय व्यय-		
विविध/आकस्मिकता/गुड़ कीट/गुड़ पैकेजिंग प्रशिक्षण	10.000
योग-		10.000
कुल योग (1+2+3)-		488.668

(चार करोड़ अट्ठासी लाख छियासठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र।

अनुसूची-II (पृ-1)

वर्ष 2026-27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत गुड़ इकाइयों की स्थापना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	गुड़ विकास कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)															
		लघु (5-20 TCD)								मध्यम (21-40 TCD)							
		सामान्य		अनु० जाति		अनु० जनजाति		योग		सामान्य		अनु० जाति		अनु० जनजाति		योग	
		भौतिक (सं. में)	वित्तीय (लाख रु. में) 50% अनुदान	भौतिक (सं.में)	वित्तीय (लाख रु. में) 50% अनुदान	भौतिक (सं.में)	वित्तीय (लाख रु. में) 50% अनुदान	भौतिक (सं.में)	वित्तीय (लाख रु. में)	भौतिक (सं.में)	वित्तीय (लाख रु. में) 50% अनुदान	भौतिक (सं.में)	वित्तीय (लाख रु. में) 50% अनुदान	भौतिक (सं.में)	वित्तीय (लाख रु. में) 50% अनुदान	भौतिक (सं.में)	वित्तीय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	3	9.00	0	0.00	0	0.00	3	9.00	2	15.00	0	0.00	0	0.00	2	15.00
2	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	2	6.00	1	3.00	0	0.00	3	9.00	2	15.00	0	0.00	0	0.00	2	15.00
3	ईख पदाधिकारी, दरभंगा	6	18.00	2	6.00	1	3.00	9	27.00	7	52.50	1	7.50	0	0.00	8	60.00
4	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया	2	6.00	0	0.00	0	0.00	2	6.00	1	7.50	0	0.00	0	0.00	1	7.50
5	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल	2	6.00	0	0.00	0	0.00	2	6.00	1	7.50	0	0.00	0	0.00	1	7.50
6	ईख पदाधिकारी, पूर्णिया	5	15.00	1	3.24	0	0.00	6	18.24	3	22.50	0	0.00	0	0.00	3	22.50
7	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	2	6.00	0	0.00	0	0.00	2	6.00	2	15.00	1	7.50	0	0.00	3	22.50
8	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	6	18.00	3	9.00	0	0.00	9	27.00	3	22.50	0	0.00	0	0.00	3	22.50
9	ईख पदाधिकारी, सीवान	2	6.00	1	3.00	0	0.00	3	9.00	1	7.50	0	0.00	0	0.00	1	7.50
10	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	6	18.00	1	3.00	1	3.635	8	24.64	1	7.50	1	7.50	0	0.00	2	15.00
11	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	2	6.00	0	0.00	0	0.00	2	6.00	1	7.50	0	0.00	0	0.00	1	7.50
12	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, पटना	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
योग-		38	114.00	9	27.24	2	6.635	49	147.88	24	180.00	3	22.50	0	0.00	27	202.50

अनुसूची-II (पृ0-2)

वर्ष 2026-27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत गुड़ इकाइयों की स्थापना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

गुड़ विकास कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)

वृहद (41-60 TCD)								बड़ी (60 TCD से अधिक)									
सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		कुल योग	
भौतिक (सं.मे)	वित्तीय (लाख रु. मे) 50% अनुदान	भौतिक (सं.मे)	वित्तीय (लाख रु. मे) 50% अनुदान	भौतिक (सं.मे)	वित्तीय (लाख रु. मे) 50% अनुदान	भौतिक (सं.मे)	वित्तीय (लाख रु. मे)	भौतिक (सं.मे)	वित्तीय (लाख रु. मे) 50% अनुदान	भौतिक (सं.मे)	वित्तीय (लाख रु. मे) 50% अनुदान	भौतिक (सं.मे)	वित्तीय (लाख रु. मे) 50% अनुदान	भौतिक (सं.मे)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	22.50	1	22.50	0	0.00	2	45.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	5	24.00
																5	24.00
																17	87.00
																3	13.50
																3	13.50
																9	40.74
																5	28.50
																12	49.50
																4	16.50
																10	39.64
																3	13.50
																3	95.00
1	22.50	1	22.50	0	0.00	2	45.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	79	445.38

अनुसूची-II (पृ-3)

वर्ष 2026-27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत गुड़ इकाइयों की स्थापना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

गुड़ विकास कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)								गुड़ विकास कार्यक्रम (विषय शीर्ष 20 03 सब्सिडी)								विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय								सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनुसूची -II का कुल योग
ब्याज अनुदान (60 TCD) से उपर संयंत्र के स्थापना के लिए								किसानों/इन्क्यूबेटर्स के लिए क्षेत्र भ्रमण और प्रशिक्षण कुल 4 प्रशिक्षण (50-50 व्यक्तियों के लिए एक सप्ताह का 4 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष)								विविध/आकस्मिकता/गुड़ कीट/गुड़ पैकेजिंग प्रशिक्षण											
सामान्य		अनु० जाति		अनु० जनजाति		योग		सामान्य		अनु० जाति		अनु० जनजाति		योग		सामान्य		अनु० जाति		अनु० जनजाति		योग		कुल योग	कुल योग	कुल योग	
भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	भौतिक (सं.)	वित्तीय (लाख रु.)	वित्तीय (लाख रु.)	वित्तीय (लाख रु.)	वित्तीय (लाख रु.)	वित्तीय (लाख रु.)
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
								0	20.67	0	4.00	0	0.33	0	25.00												
																								44.67	4.00	0.33	49.00
																								21.00	3.00	0.00	24.00
																								70.50	13.50	3.00	87.00
																								13.50	0.00	0.00	13.50
																								13.50	0.00	0.00	13.50
																								37.50	3.24	0.00	40.74
																								21.00	7.50	0.00	28.50
																								40.50	9.00	0.00	49.50
																								13.50	3.00	0.00	16.50
																								25.50	10.50	3.635	39.635
																								13.50	0.00	0.00	13.50
																0	8.27	0	1.60	0	0.13	0	10.00	89.063	24.10	0.13	113.29
2	8.29	0	0.00	0	0.00	2	8.29	0	20.67	0	4.00	0	0.33	0	25.00	0	8.27	0	1.60	0	0.13	0	10.00	403.73	77.84	7.10	488.668

अनुसूची-III

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत गुड़ इकाइयों की स्थापना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू० में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	44.67	4.00	0.33	49.00	कोषागार, समस्तीपुर
2	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	21.00	3.00	0.00	24.00	कोषागार, गोपालगंज
3	ईख पदाधिकारी, दरभंगा	70.50	13.50	3.00	87.00	कोषागार, दरभंगा
4	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया	13.50	0.00	0.00	13.50	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
5	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल	13.50	0.00	0.00	13.50	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
6	ईख पदाधिकारी, पूर्णिया	37.50	3.24	0.00	40.74	कोषागार, पूर्णिया
7	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	21.00	7.50	0.00	28.50	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
8	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	40.50	9.00	0.00	49.50	कोषागार, मुजफ्फरपुर
9	ईख पदाधिकारी, सीवान	13.50	3.00	0.00	16.50	कोषागार, सीवान
10	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	25.50	10.50	3.64	39.64	कोषागार, पटना
11	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	13.50	0.00	0.00	13.50	कोषागार, गोपालगंज
12	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	89.06	24.10	0.13	113.29	कोषागार, विकास भवन, पटना
	योग-	403.73	77.84	7.10	488.668	

ईखाधुक्त, बिहार।

अनुसूची-IV

1. निवेशक/आवेदक और पात्रता

1.1 इस कार्यक्रम अन्तर्गत किसान/निवेशक/फर्म/एलएलपी कंपनी/कोआपरेटिव (सहकारी) सोसाइटी/किसान उत्पादक कम्पनी आवेदन करने के प्रात्र होंगे।

1.2 आवेदक/निवेशक को निम्न शर्त पूरा करना आवश्यक होगा :-

(क) कार्यक्रम संबंधी दस्तावेजों एवं विवरणों के अनुसार विहित प्रपत्र में Online आवेदन समर्पित करना।

(ख) पर्यावरण संबंधी अनुमति/स्वीकृति (यदि आवश्यक हो) प्राप्त करना।

(ग) संचालन के पूर्व परियोजना हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे-आवश्यक जमीन (स्वयं या लीज पर हो) के उपलब्धता।

चयनित आवेदक का परियोजना हेतु स्वयं के नाम से भूमि के अतिरिक्त पैतृक भूमि (जिसका आवेदक के नाम से म्यूटेशन नहीं हुआ है जबकि वे भूमि के शेयर होल्डर हैं), वैसे आवेदक के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वंशावली तथा परिवार के सभी जीवित सदस्यों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संबंधित ईख पदाधिकारी कार्यादेश निर्गत कर सकेंगे।

(घ) गुड़ उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण। यदि आवेदक पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हे तो विभाग द्वारा परामर्शित प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।

(घ) गुड़ उत्पादन हेतु अनुज्ञप्ति।

(घ) परियोजना का प्रगति प्रतिवेदन ईखायुक्त, बिहार/संबंधित ईख पदाधिकारी को सौंपना (फोटोग्राफ/तस्वीर सहित प्रगति प्रतिवेदन जमा करना)।

(ङ) चयनित आवेदक/निवेशक सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे।

2. पात्रता

2.1 आवेदक की वित्तीय पृष्ठभूमि सुदृढ़ होनी चाहिए। आवेदक की शुद्ध संपत्ति (Net Assets) पूँजी अनुदान की माँग से कम नहीं होनी चाहिए।

2.2 इस कार्यक्रम के अधीन समर्पित किए जानेवाले वैसे प्रस्ताव जिसमें आवेदक बैंक से ऋण लेंगे उन्हें वित्तीय संस्था द्वारा सम्यक रूप से मूल्यांकन किया जाना और सावधि ऋण का लाभ उठाना अपेक्षित है।

2.3 आवेदक/निवेशक परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदन (छोटी क्षमता वाली इकाइयों की दशा में डीपीआर) में परियोजना के सभी घटक अवश्य शामिल होने चाहिए जिसके लिए पूँजी अनुदान की माँग की जाती हो।

2.4 संयंत्र एवं मशीनरी मानक गुणवत्ता का होना आवश्यक है। संबंधित निवेशक द्वारा इकाई की स्थापना के लिए आइएसआई/बीआईएस मार्का या आइएसओ प्रमाणित कंपनी/फर्म से खरीद की जायेगी यंत्र एवं मशीनरी का उपयोग किया जायेगा। संयंत्र एवं मशीनरी और उसमें प्रयुक्त तकनीक भारतीय गन्ना शोध संस्थान (आई.आई.एस.आर.), लखनऊ एवं गन्ना शोध संस्थान, पूसा, समस्तीपुर द्वारा स्थापित मानकों के अनुसार होगी।

2.5 गुड़ इकाई के लिए पूँजी अनुदान की राशि सावधि ऋण लेखा में दी जायेगी।

2.6 ऋण नहीं लेने के स्थिति में आवेदक/निवेशक/फर्म के बैंक खाते में अनुदान की राशि दी जायेगी।

अनुसूची-V

1. कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुश्रवण और शिकायत निवारण :

- 1.1 कार्यक्रम का कार्यान्वयन (Implementation of Programme)
- 1.2 बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग नोडल एजेंसी होगा जो राज्य में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। गन्ना उद्योग विभाग इस कार्यक्रम के कार्यपालक आदेश के साथ प्रावधानों और मार्गदर्शिका का आवश्यक संशोधन कर सकेगा।
- 1.3 इस कार्यक्रम अन्तर्गत आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कम्प्यूटराइज्ड रैण्डमाइजेशन के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
- 1.4 वैसे गुड़ इकाइयाँ जिनका निवेश 25.00 लाख रुपये से अधिक है, वे SIPB (स्टेट इनवेस्टमेन्ट प्रमोशन बोर्ड) Stage-I द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑनलाइन के माध्यम से गन्ना उद्योग विभाग के संबंधित कार्यालय में आवेदन दे सकेंगे।
- 1.5 आवेदक/निवेशक से प्राप्त प्रस्ताव की जाँच/स्थल निरीक्षण संबंधित जिले के ईख पदाधिकारी/सहायक निदेशक, ईख विकास के कार्यालय द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ ईखायुक्त, बिहार को प्रेषित की जायेगी। प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) की समीक्षा की जा सकेगी तथा इसके लिए विशेषज्ञों/संस्थानों की सहायता प्राप्त की जा सकेगी।
- 1.6 तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से सक्षम प्रस्तावों की समीक्षा तथा स्वीकृति प्रदान करने के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) गठित की जायेगी। पीएसी का गठन निम्न रूप से होगा:-

क्र० सं०	पदनाम	स्थिति
I	ईखायुक्त, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
II	उप सचिव/संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार।	सदस्य
III	आंतरिक वित्तीय सलाहकार/वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्रतिनिधि।	सदस्य
IV	संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार।	सदस्य सचिव
V	संयुक्त निदेशक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य

- 1.7 प्राप्त आवेदनों/परियोजनाओं की जाँच और पूँजीगत अनुदान जारी करने की मंजूरी के लिए पीएसी की बैठक आयोजित की जायेगी।
- 1.8 इस कार्यक्रम के अधीन गठित परियोजना अनुमोदन समिति इस कार्यक्रम के शर्तों के अनुसार आवेदक की पात्रता के आधार पर परियोजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय करेगी।
- 1.9 परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुशंसित/स्वीकृत परियोजना के आधार पर संबंधित ईख पदाधिकारी के द्वारा कार्य आदेश निर्गत किया जायेगा। कार्यादेश में परियोजना स्वीकृति के उन शर्तों एवं बंधेजों का उल्लेख किया जायेगा जो मार्गदर्शिका में विहित हो अथवा पी.एस.सी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 1.10 कार्यादेश के आलोक में ही आवेदकों को अनुदान की पात्रता मान्य होगी। कार्यादेश के बिना कार्य किये गये युनिट के संबंध में अनुदान की देयता राज्य सरकार की नहीं होगी। अनुदान का भुगतान बजट उपलब्धता/आवंटन आदेश तक सीमित होगा। किसी वर्ष में बजट में राशि उपबंधित नहीं रहने अथवा योजना की स्वीकृति नहीं होने पर किसी प्रकार की अनुदान की बाध्यता राज्य सरकार की नहीं होगी।



2. अनुश्रवण कार्यक्रम एवं शिकायत निवारण :

- 2.1 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रक्रिया सुधार एवं आवश्यक सरलीकरण किया जायेगा। गन्ना उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत ईख पदाधिकारी, सहायक आयुक्त, संयुक्त आयुक्त अथवा कोई अन्य पदाधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया जाय स्वीकृत परियोजनाओं/इकाइयों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवार होंगे। योजना कार्यान्वयन के संबंध में शिथिलता के लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने पर विचार हो सकता है।
- 2.2 व्यवसाय को सरल बनाने के लिए सरकारी प्रयास के रूप में आवेदन/संबद्ध प्राधिकारी से अनुमति तथा संबंधित एजेंसियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त ईखायुक्त तथा जिलास्तर पर ईख पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे।
- 2.3 सभी मामलों की व्याख्या/विवादों का निर्णय गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा किया जायेगा जो अंतिम होगा।
- ### 3. सामान्य शर्तें
- 3.1 इस कार्यक्रम के अधीन पूँजी अनुदान/आर्थिक सहायता का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तें लागू होंगी।
- 3.2 सभी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् इकाई द्वारा गुड़ का वाणिज्यिक उत्पादन किया जायेगा।
- 3.3 यदि प्रोत्साहन का लाभ लेने के प्रयोजन से कोई झूठी घोषणा की जाती है या यदि निवेशक/इकाई न्यूनतम निवेश करने में असफल होता है या यदि प्रोत्साहन का लाभ किसी ऐसी इकाई द्वारा ली जाती है, जो योग्य नहीं था या इस कार्यक्रम के शर्तों का उल्लंघन हुआ हो तो अनुदान/आर्थिक सहायता की राशि 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ऐसे लाभ लेने की तिथि से वसूली का भागी होगा।
- 3.4 उत्पादन तिथि का तात्पर्य उस तिथि से होगा जिस तिथि से इकाई, व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो। उत्पादन की तिथि जिले के ईख पदाधिकारी/सहायक निदेशक, ईख विकास के अनुशंसा पर गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।
- 3.5 विभाग से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति की तिथि से लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए छः माह तथा अन्य इकाइयों के मामलों में एक वर्ष के अन्दर व्यावसायिक उत्पादन करनेवाली इकाई इस कार्यक्रम के अधीन प्रोत्साहन राशि के लिए योग्य होगी। यदि किसी इकाई के द्वारा निर्धारित अवधि में व्यवसायिक उत्पादन का कार्य शुरू नहीं हो पाता है तो कारणों का उल्लेख करते हुए उत्पादन अवधि का बढ़ाने के संबंध में ईखायुक्त को अभ्यावेदन दे सकेंगे। जो उसे सम्यक विचारोपरांत मान्य अथवा अमान्य कर सकेंगे।
- 3.6 गुड़ इकाई संयंत्र के अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा करना बाध्यकारी हो गया है तो स्थानान्तरण के पूर्व निवेशकों को संबंधित ईख पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर ईखायुक्त से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा इसे अवैध मानते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
- 3.7 गुड़ इकाई में पेरार्ई हेतु आवश्यक गन्ने की उपलब्धता की जिम्मेवारी निवेशक की स्वयं की होगी।
- 3.8 चीनी मिलों के लिए ईख क्रय की निर्धारित दर के आधार पर गुड़ इकाई, गन्ना की खरीद किसानों से करेगी और इकाई के द्वारा सभी क्रय संबंधी अभिलेखों को संधारित किया जायेगा। इकाई द्वारा खरीदे गये गन्ना की राशि का भुगतान बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

- 3.9 गन्ना उद्योग विभाग, बिहार एवं संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक निदेशक, ईख विकास को गुड़ उत्पादन ब्योरा का दैनिक प्रतिवेदन देना, इकाई के लिए अनिवार्य होगा।
- 3.10 इकाई के लिए यह अपेक्षित होगा कि गन्ना उद्योग विभाग, बिहार एवं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को गुड़/खाण्डसारी इकाई के उपोत्पाद (बॉय प्रोडक्ट) के रूप में शीरा उत्पादन (यदि होता हो तो) से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा। चूँकि बिहार में अल्कोहल का विनिर्माण और भंडारण निषिद्ध है, खाण्डसारी के उपोत्पाद (बॉय प्रोडक्ट) के रूप में शीरा का अनुश्रवण तथा भंडारण उत्पादन की बिक्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार से अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित इकाई के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी तथा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।
- 3.11 ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के पूर्व अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3.12 गन्ना उद्योग विभाग कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए सक्षम होगा।

अनुसूची-VI

1. गुड़ इकाई की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति :
- 1.1 गुड़ इकाई द्वारा, गुड़ उत्पादन के लिए जिले के ईख पदाधिकारी/सहायक निदेशक, ईख विकास के अनुशंसा पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति दी जायेगी।
- 1.2 निवेशक निर्धारित फार्मेट में प्रासंगिक दस्तावेजों, जैसे-आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी.एस.टी. संख्या, अनुज्ञप्ति संख्या, बैंक खाता विवरण, अद्यतन भूमि रसीद, लीज दस्तावेज, भूमि विवरण, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) सावधि ऋण से संबंधित सूचना (यदि हो तो) और दस्तावेजों आदि के साथ ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
- 1.3 परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था आवेदक/निवेशक द्वारा क्रय कर या कम से कम 10 वर्षों तक की लीज पर की जाएगी और यह प्रस्तावित इकाई के नाम से निबंधित होनी चाहिए।
- 1.4 इस कार्यक्रम के अधीन वैसे आवेदक/निवेशक जो इस कार्यक्रम के निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो वे अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- 1.5 स्थापित गुड़ इकाई बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1981 और बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1978 के अधीन प्रशासित की जाएगी।
2. इस कार्यक्रम के अधीन सहायता :
- 2.1 नये गुड़ इकाई की स्थापना के लिए सहायता
(क) आवेदकों/निवेशकों को गन्ना उद्योग विभाग, बिहार द्वारा निर्गत नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार गुड़ इकाइयों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार पूँजी अनुदान/आर्थिक सहायता (न्यूनतम 05 टीसीडी क्षमता के साथ) प्राप्त करने के पात्र होंगे :

क्र० सं०	अनुदान/ आर्थिक सहायता	क्षमता	परियोजना लागत	सामान्य श्रेणी के निवेशकों के लिए	एस.सी/एस.टी./ईबीसी निवेशकों के लिए अनुदान	महिला/ दिव्यांग/ युद्ध विधवा/ एसिड आक्रमण पीड़ित और थर्ड जेन्डर के लिए
1	2	3	4	5	6	7
i.	नियत पूँजी (संयंत्र और मशीनरी पर पूँजी अनुदान)	5-20 टीसीडी	12 लाख रुपये तक संयंत्र और मशीनरी के क्रय, निर्माण और प्रवर्तन में लाने तथा नींव और शेड (छप्पर) पर।	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 06 लाख रुपये तक, जो भी कम हो।	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 10% बढ़ाया जायेगा।	प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 5% बढ़ाया जायेगा।
		21-40 टीसीडी	30 लाख रुपये तक संयंत्र और मशीनरी के क्रय, निर्माण और प्रवर्तन में लाने तथा नींव और शेड (छप्पर) पर।	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपये तक, जो भी कम हो।	अर्थात् लागत का 55 प्रतिशत पूँजी अनुदान।	अर्थात् लागत का 52.5 प्रतिशत पूँजी अनुदान।
		41-60 टीसीडी	90 लाख रुपये तक संयंत्र और मशीनरी के क्रय, निर्माण और प्रवर्तन में लाने तथा नींव और शेड (छप्पर) पर।	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 45 लाख रुपये तक, जो भी कम हो।		
		60 टीसीडी कोटि से अधिक क्षमता	90 लाख रुपये तक से अधिक तथा 500 लाख रुपये तक के निवेश के लिए संयंत्र और मशीनरी के क्रय, निर्माण और प्रवर्तन में लाने तथा नींव और शेड छप्पर (शेड) पर	लागत का 20 प्रतिशत या 45 लाख रुपये, जो भी अधिक हो तथा अधिकतम 01 करोड़ रुपये तक।		

ii.	ब्याज आर्थिक सहायता मात्र रू0 500 लाख से ज्यादा निवेश के लिए	* इकाइयों द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता-सावधि ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज के दर जो भी कम हो, पाँच वर्षों की अवधि तक, अधिकतम ब्याज आर्थिक सहायता परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक होगा। ब्याज आर्थिक सहायता उस अवधि की मूलधन राशि (ऋण का) के भुगतान करने पर बैंक को अर्द्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर दी जायेगी।
-----	--	--

2.2 अनुदान दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में पचास प्रतिशत राशि व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने के एक माह के अंदर तथा द्वितीय किस्त के रूप में पचास प्रतिशत युनिट के सफलतापूर्वक एक वर्ष के संचालन के उपरांत भुगतेय होगा।

2.3 राज्य में अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.), अति पिछड़ा वर्ग (ई०बी०सी०), महिलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेन्डर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें इस नीति अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान इस शर्त के साथ अनुमान्य होगा कि इकाई को प्रवर्तित करने वाली इकाई/फर्म में इन वर्गों के उद्यमियों का 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हो।

3. प्रोत्साहन की कैपिंग:

3.1 इस कार्यक्रम अंतर्गत आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 में स्वीकृत/दावा समर्पित कर चुके आवेदक तथा 2026-27 में लक्षित ओवदकों को स्वीकृति के पश्चात् भुगतेय होगा।

3.2 इस कार्यक्रम के अधीन कुल ब्याज आर्थिक सहायता और पूँजी अनुदान की कैपिंग अनुमोदित परियोजना लागत के 100 प्रतिशत होगी (बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत परियोजना लागत परियोजना लागत हो)।

3.3 केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों और स्कीमों से सामंजस्य स्थापित करना।

केन्द्र सरकार की स्कीमों के साथ प्रोत्साहन का सामंजस्य इस कार्यक्रम के अधीन अनुमत होगा। भारत सरकार की किसी स्कीम के अधीन प्रोत्साहक (प्रमोटर) द्वारा उठाए गए लाभ/उठाए जानेवाले लाभ की दशा में जिसमें राज्य का हिस्सा हो या राज्य सरकार की स्कीम से जुड़ा हो तो इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन की गणना के प्रयोजन हेतु अनुमोदित परियोजना लागत राज्य सरकार से लिये गये प्रोत्साहन लाभ के तदनुरूप परियोजना लागत से घटाकर प्राप्त की जायेगी।

केन्द्र सरकार की स्कीम के अधीन यदि निवेशक कोई अनुदान का लाभ उठाता है तो उनके द्वारा उठाए गए अनुदान लाभ/उठाए जानेवाले अनुदान लाभ की राशि बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अर्थात् इस कार्यक्रम के अधीन तदनुरूप अनुमान्य अनुदान से घटायी जायेगी। उदाहरण के लिए केन्द्र सरकार स्कीम के अधीन यदि निवेशक 6 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता अनुदान का लाभ उठाता है और उनके द्वारा प्राप्त सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर 10 प्रतिशत हो तो शेष 4 प्रतिशत इस कार्यक्रम के अधीन अनुमान्य होगा जो इस कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट उपरी सीमा के अधीन होगा।

3.4 राज्य सरकार की नीतियों एवं स्कीमों के साथ सामंजस्य स्थापित करना : राज्य सरकार की नीति एवं स्कीमों के साथ प्रोत्साहन का सामंजस्य इस कार्यक्रम के अधीन अनुमान्य होगा। बिहार सरकार की किसी स्कीम के अधीन प्रोत्साहक द्वारा प्राप्त अनुदान/प्राप्त किये जानेवाले अनुदान की दशा में इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन की गणना के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परियोजना लागत राज्य सरकार से पूर्व में लिए गए प्रोत्साहन के तदनुरूप परियोजना लागत को घटाकर प्राप्त किया जायेगा।

गैर चीनी मिल में गन्ना क्षेत्र के विकास के लिए किसानों को मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अधीन प्रोत्साहन किया जायेगा और उक्त स्कीम का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा।

निवेशकों को भारत सरकार या बिहार सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या उनकी एजेंसियों से इसी प्रकार के घटक/प्रयोजन/क्रियाकलाप के लिए अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करने या उसके लिए आवेदन नहीं करने की घोषणा सुपुर्द करना होगा।

- 3.5 इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2026-27 में आकस्मिकता मद में 10.00 (दस लाख) रू० प्रावधानित किया गया है। इस राशि का व्यय मुख्यालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा। कर्णांकित राशि का उपयोग गुड़ कीट/गुड़ पैकेजिंग प्रशिक्षण/आकस्मिकता/विविध/विशेषज्ञों से प्रस्तावों की तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता के अध्ययन के लिए किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार राशि का उप आवंटन क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी किया जा सकेगा।
- 3.6 गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा और ईख आयुक्त, योजना के सर्वोच्च नियंत्रण पदाधिकारी होंगे जिनके पर्यवेक्षण में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। ईखायुक्त, बिहार, पटना योजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण समय-समय पर करेंगे।

